

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोकायुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6

देहरादून, दिनांक: 25 फरवरी 2021

विषय: लोकायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड में सृजित अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 238/सतर्कता-2007-38(2)02, दिनांक 06.08.2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में 01 अनुसचिव एवं 01 समीक्षा अधिकारी के अस्थायी पद का सृजन किया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश के क्रम में सृजित 01 अनुसचिव एवं 01 समीक्षा अधिकारी के पद को श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार स्थायी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा पद सृजित किया गया।
1-	अनुसचिव	01	238/सतर्कता-2007-38(2)02, दिनांक 06.08.2007
2-	समीक्षा अधिकारी	01	-----उपरोक्त-----

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव,

संख्या: 118/XXX(6)/21-38(02)2002-TC-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-वित्त अनुभाग-5।
- 4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)

उप सचिव,